न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—रामनिवास मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 93 / 2023 **दायर दिनांकः 11 / 08 / 2023**

रजि0 नं0—2023 / 186

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र बंशीलाल जाति खाती
2. धनराज पुत्र बंशीलाल जाति खाती
3. रघुवीर पुत्र बंशीलाल जाति खाती
4. इन्द्रराज पुत्र औमप्रकाश जाति खाती
5. जितेन्द्र पुत्र औमप्रकाश जाति खाती
6. दुर्गेश पुत्र औमप्रकाश जाति खाती
7. सुरेन्द्र पुत्र औमप्रकाश जाति खाती
8. धापूबाई पुत्री औमप्रकाश जाति खाती
9. मंजूबाई पुत्री औमप्रकाश जाति खाती
10. रेखाबाई पुत्री औमप्रकाश जाति खाती
11. रिंकू बाई पुत्री ओम प्रकाश जाति खाती
12. संजूबाई पुत्री औमप्रकाश जाति खाती
13. लोकेशबाई पुत्री औमप्रकाश जाति खाती
14. प्रेमबाई पत्नि स्व. औमप्रकाश जाति खाती निवासीगण ननावता तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. कालूलाल पुत्र घांसीलाल जाति माली
2. गंगाधर पुत्र घांसीलाल जाति माली
3. रमेशचंद पुत्र घांसीलाल जाति माली
4. रामकल्याण पुत्र घांसीलाल जाति माली निवासीगण ननावता तहसील अटरू जिला बारां राज0
5. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट</u>
<u>बाबत इन्द्राज दुरूश्ती</u>

उपस्थिति :–

वादीगणः–विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

प्रतिवादीः– प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 स्वयं

निर्णय दिनाकः 30/10/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल ननावता तहसील अटरू जिला बारां मे वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 42 का ख0नं0 587/1501 का रकबा 0.18 है0. ख0नं0 588/1502 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 589 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 590 का रकबा 2.96 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.26 है0 आराजीयात शामलाती खाते की स्थित हैं। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 42 सम्वत् 2073 से 2076 काबिल गौर हैं। सभी वादीगण जाति से खाती (गोड) है वादीगण के पूर्वज नारायण जी जो बंशीलाल, प्रेमबाई के पिताजी थें का नामान्तकरण संख्या 202 दिनांक 24.11.1976 मे जाति खाती दर्ज हैं तथा जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 2037 में भी बंशीलाल, प्रेमबाई बेटा नारायण हिस्सा 1/2 बाट बराबर कोम खाती लिखा हुआ हैं। तथा और भी रिकार्ड में वादीगण की जाति खाती दर्ज हैं और वादीगण बंशीलाल तथा प्रेमबाई के वारिसान हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियो द्वारा पूर्व के रिकार्ड मे तथा वर्तमान रिकार्ड में जाति खाती के स्थान पर माली दर्ज कर दी हैं। वादीगण द्वारा तहसीलदार साहब के यहा अपनी जाति शुद्ध व सही कराने के लिये आवेदन पेश किया था लेकिन तहसीलदार साहब द्वारा जाति सही कराने के लिये उपजिला कलेक्टर महोदय अटरू के यहा दावा पेश करने की हिदायत दी हैं। बिना सहायता न्यायालय वादीगण की जाति खाती शुद्ध करवाया जाना सम्भव नही हैं। इस वजह से वादीगण माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन करते है कि वादीगण का वाद पत्र बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 42 की जमाबन्दी में वादीगण की जाति शुद्ध व सही करते हुये जाति माली के स्थान पर खाती (गोड) दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 5 तहसीलदार को प्रदान करें।

प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 तथा वादीगण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहखातेदार दर्ज होने की वजह से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 को उक्त वाद में फोरमल पक्षकार बनाया गया हैं। उनसे उक्त वाद में कोई अनुतोष नही चाहा गया हैं। वादीगण द्वारा अपने अभिभाषक माध्यम से रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा०दी मियादी दो माह राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को प्रेषित करवा दिया हैं। लेकिन वादीगण की जाति राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज होने की वजह से राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले लाभ एवं परिलाभो से वंचित हो रहे हैं। इस वजह से वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही धारा 80 (2) जा०दी० के प्रार्थना पत्र के साथ मे वाद पत्र प्रस्तुत हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर करके वाद की सुनवाई की जावें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.06.2023 को हल्का पटवारी द्वारा वादीगण की जाति माली गलत दर्ज होने से अवगत कराने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 03.08.2023 को तहसीलदार साहब अटरू द्वारा माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत देने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वाद ग्रस्त आराजी वाके माल ननावता तहसील अटरू जिला बारां में स्थित हैं। जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने है तथा वाद इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा का होने की वजह से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी तहसीलदार अटरू को प्रतिवादी क्रम 5 आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्रम निम्न आशय की पारित की जावे कि :–

(अ) वाद पत्र के मद नं0 1 मे दर्ज आराजी खाता संख्या 42 का ख0नं0 587/1501 का रकबा 0.18 है0. ख0नं0 588/1502 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 589 का रकवा 0.02 है०, ख0नं0 590 का रकबा 2.96 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 3.26 है0 माल ननावता तहसील अटरू में इन्द्राज दुरूस्त करते हुये वादीगण की जाति माली के स्थान पर खाती (गोड) दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जायें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 ता 4 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र का मद नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 3 स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 4 स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 5 स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 6 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 7 स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 9 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 10 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 11 कानूनी है। वाद में वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार है।

विशेष कथन

वादीगण सभी जाति से खाती (गोढ) है इनकी जाति राजस्व रिकार्ड में माली गलत दर्ज हो रही है। उसके स्थान पर सभी वादीगण की जाति खाती (गोढ) राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिये।

प्रतिवादी कम 5 द्वारा अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 धनराज पुत्र बंशीलाल जाति खाती निवासी ननावता के सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने अपने बयानों में कथन किया कि सभी वादीगण हम एक ही परिवार के है तथा प्रतिवादी कालूलाल, गंगाधर, रमेशचन्द, रामकल्याण जाति माली निवासी ननावता के व हम सभी वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते को जमीन माल ननावता में खाता संख्या 42 की कुल किता 4 का रकबा 3.26 है0 स्थित है। हम शामलाती जमीन में हम सभी वादीगण के पूर्वज नारायण जो बंशीलाल प्रेमबाई के पिता थे के संवत 2034–37 से नामा. संख्या 202 दिनांक 24.11.76 में जो हमने पत्रावली में रिकार्ड पेश किया गया है जिसमें हमारी जाति खाती दर्ज है तथा हम बंशीलाल प्रेमबाई के वारिसान है। सेटलमेन्ट ने नई जमाबन्दी बनाते समय हमारी जाति खाती के स्थान पर माली दर्ज कर दी गई इसलिए हम राजस्व रिकार्ड में हमारी जाति शुद्ध करते हुऐ माली के स्थान पर सही जाति खाती दर्ज की जावे।

pw1 कालूलाल पुत्र घांसीलाल जाति माली निवासी ननावता के सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने अपने बयानों में कथन किया कि मेरे व मेरे भाईयों के

तथा रामप्रसाद, धनराज वादीगण के परिवार वालों के इस दावे में वर्णित जमीन शामलाती खाते की है इसलिए में इस सबको जानता हूं हमारी जाति माली है तथा रामप्रसाद धनराज वगै0 की जाति खाती है। हमने दावे में इकबाली जवाब दावा भी पेश कर रखा है।

4. अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 की बहस सुनी। अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम ननावता के खाता संख्या 42 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.26 है0 आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। सभी वादीगण जाति से खाती (गोड) है परन्तु सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीगण की जाति खाती के स्थान पर माली दर्ज कर दी जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण के पूर्वज नारायण जी जो बंशीलाल, प्रेमबाई के पिताजी थें का नामान्तकरण संख्या 202 दिनांक 24.11.1976 मे जाति खाती दर्ज हैं तथा जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 2037 में भी बंशीलाल, प्रेमबाई बेटा नारायण हिस्सा 1/2 बाट बराबर कोम खाती लिखा हुआ हैं। तथा और भी रिकार्ड में वादीगण की जाति खाती दर्ज हैं। अतः वादीगण वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण की जाति शुद्ध करते हुए माली के स्थान पर खाती दर्ज किये जाने के आदेश करने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 द्वारा वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष पर सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सहवन से वादीगण की जाति माली दर्ज कर दी है जबकि वादीगण की सही जाति खाती है। इसलिए राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

5. अभिभाषक वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 की बहस के प्रकाश में उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम ननावता की जमाबन्दी संवत 2073–76 प्रदर्श पी 6 अनुसार खाता संख्या 42 का ख0नं0 587/1501 का रकबा 0.18 है0, ख0नं0 588/1502 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 589 का रकवा 0.02 है0, ख0नं0 590 का रकबा 2.96 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.26 है0 आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के शामलाती खाते दर्ज है जिसमें वादीगण की जाति माली अंकित है। ग्राम ननावता की नामान्तरण पंजिका प्रदर्श पी 4 के अवलोकन से जाहिर होता है कि साबिक ख0नं0 357 की आराजी घांसी पुत्र धूल्या कौम माली एवं

नाराण पुत्र बालाबक्श कौम **खाती** हिस्सा 1/2 खाते दर्ज थी जिसमें नाराण फौत होने पर नामान्तरण संख्या 202 दिनांक 24.11.1976 से उक्त आराजी उसके वारिसान बंशीलाल पुत्र, प्रेमबाई पुत्री नाराण के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक हुआ। ग्राम ननावता की जमाबन्दी संवत 2034–**37 प्रदर्श पी 7** के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख0नं0 357 रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा आराजी घांसी वल्द धुल्या कौम माली हिस्सा 1/2 तथा बंशी लाल वल्द नाराण, प्रेमबाई बेटी नाराण हिस्सा 1/2 बांट बराबर **कौम खाती** के दर्ज खाता स्थित है। ग्राम ननावता की अगली चौसाला जमाबन्दी संवत 2038–41 खाता संख्या 62 प्रदर्श पी 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख0नं0 357 रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा आराजी घांसी वल्द धूल्या कौम माली हिस्सा 1/2 तथा बंशीलाल वल्द नारायण, प्रेमबाई बेटी नारायण हिस्सा 1/2 कौम माली दर्ज कर दी गई। यह परिवर्तन किस न्यायालय या प्राधिकार के आदेश से किया गया है–का जमाबन्दी में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। सेटलमेन्ट से बाद विवादित आराजी की जमाबन्दी में वादीगण की जाति माली दर्ज चली आ रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी सूची अनुसार दोनों ही जातियां पिछडा वर्ग (obc) श्रेणी में आती है। भू प्रबंध विभाग का मिलान क्षैत्रफल 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 के अनुसार साबिक ख0नं0 357 मि0 से नया ख0नं0 587 रकबा 0.18 है0 एवं ख0नं0 1501 बनाये गये है।

6. वादीगण द्वारा पेश खातेदार रघूवीर प्रसाद गौड पुत्र श्री बंशीलाल का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 8 अनुसार वादी रघूवीर प्रसाद पुत्र बंशीलाल की जाति खाती है। प्रदर्श 4, प्रदर्श 7 एवं प्रदर्श 8 के अवलोकन से वादीगण की जाति खाती होना साबित होता है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य साबित होता है कि वादीगण की जाति खाती है जिसे सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश से माली दर्ज कर दिया गया है। राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्टी में किये गये उक्त संशोधन/परिवर्तन को धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 के अधीन दुरूस्त किया जा सकता है। अतः ग्राम ननावता की आराजी खाता संख्या 42 कुल किता 4 कुल रकबा 3.26 है0 पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल ननावता तहसील अटरू की विवादित आराजी ख0नं0 587/1501 का रकबा 0.18 है0, ख0नं0 588/1502 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 589 का रकवा 0.02 है0, ख0नं0 590 का रकबा 2.96 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.26 है0 के सहखातेदार वादीगण 1 लगायत 14 (बंशीलाल एवं औमप्रकाश के वारिसान) की जाति माली के स्थान पर जाति **खाती** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री रामनिवास मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 93/2023 **दायर दिनांकः 11/08/2023**
रजि0 नं0–2023/186

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र बंशीलाल जाति खाती
2. धनराज पुत्र बंशीलाल जाति खाती
3. रघुवीर पुत्र बंशीलाल जाति खाती
4. इन्द्रराज पुत्र औमप्रकाश जाति खाती
5. जितेन्द्र पुत्र औमप्रकाश जाति खाती
6. दुर्गेश पुत्र औमप्रकाश जाति खाती
7. सुरेन्द्र पुत्र औमप्रकाश जाति खाती
8. धापूबाई पुत्री औमप्रकाश जाति खाती
9. मंजूबाई पुत्री औमप्रकाश जाति खाती
10. रेखाबाई पुत्री औमप्रकाश जाति खाती
11. रिंकू बाई पुत्री ओम प्रकाश जाति खाती
12. संजूबाई पुत्री औमप्रकाश जाति खाती
13. लोकेशबाई पुत्री औमप्रकाश जाति खाती
14. प्रेमबाई पत्नि स्व. औमप्रकाश जाति खाती निवासीगण ननावता तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

6. कालूलाल पुत्र घांसीलाल जाति माली
7. गंगाधर पुत्र घांसीलाल जाति माली
8. रमेशचंद पुत्र घांसीलाल जाति माली
9. रामकल्याण पुत्र घांसीलाल जाति माली निवासीगण ननावता तहसील अटरू जिला बारां राज0
10. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट
बाबत इन्द्राज दुरूश्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगण :–विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

प्रतिवादी :– प्रतिवादीः– प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 स्वयं

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम एवं माल ननावता तहसील अटरू की विवादित आराजी ख0नं0 587/1501 का रकबा 0.18 है0, ख0नं0 588/1502 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 589 का रकवा 0.02 है0, ख0नं0 590 का रकबा 2.96 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.26 है0 के सहखातेदार वादीगण 1 लगायत 14 (बंशीलाल एवं औमप्रकाश के वारिसान) की जाति माली के स्थान पर जाति **खाती** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(रामनिवास मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.10.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)